राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

1. परिचय

स्वतंत्रता के बाद के समय में, भारत में खनिज उद्योगों ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की और साथ ही वनीनतम खनन तकनीकियों को भी अपनाया। इस वृद्धि के साथ-साथ, श्रमिकों के स्वस्थ्य और जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंधित जागरूकता भी अपनाई गई। भारत का संविधान हम सब के प्रति न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य दशाओं की सुनिश्चितता के लिए बचनबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सुरक्षात्मक कार्य-प्रदर्शन को यथोचित पहचान प्रदान करने के लिए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 1983 में अगले प्रतियोगी वर्ष 1982 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खनन) का गठन किया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष बेहतर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न खदानों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खनन) दिया जाता है।

2. विस्तार

यह योजना उस सभी खदानों पर लागू होती है जो खनन अधिनियम 1952 के सीमा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे खदानों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका संख्या 1 में दिखाया गया है।

तालिका संख्या 1

क्रम सं.	खदानों के प्रकार
1.	कोयला खान-कठिन खनन स्थितियों वाला भूमिगत खान
2.	कोयला खान-भूमिगत (अन्य)
3.	कोयला खान- ओपनकास्ट
4.	धातु खान- यांत्रिक/यंत्रचालित ओपनकास्ट
5.	धातु खान-मैन्युअल ओपनकास्ट
6.	धातु खान-भूमिगत
7.	तेल खान

नोटः

जो भूमिगत कोयला खान प्रतियोगी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने के लिए परिचालन में होते हैं उन्हें कठिन खनन स्थिति वाला माना जाता है यदि 300 मीटर की गहराई पर काम किया जा रहा हो अथवा यह निम्नलिखित में से दो स्थितियों को संतुष्ट करता हो :

1. वर्किंग डिग्री III गैसी सीम;
2. लंबा वॉल फेस होना जो कम से कम छह महीने के लिए काम किया गया हो;
3. यांत्रिक डेवलपमेंट/डिपिलरिंग कार्य होना;
4. ऐक्सट्रेक्शन की 3.6 मीटर से कम या बराबर की मोटाई के साथ डिपिलरिंग कार्य होना;
5. 3 में 1 की ढाल अथवा चढ़ाई वाला वर्किंग सीम।

भूमिगत और विवृत (ओपनकास्ट) दोनों खनन कार्य वाले किसी खान को भूमिगत खान के रूप में देखा जाता है यदि भूमिगत खान का आउटपुट कुल आउटपुट का 50% अथवा उससे अधिक होता है। अन्यथा इसे विवृत खान के रूप में माना जाता है।

किसी खान को यांत्रिक विवृत खान माना जाता है यदि प्रतियोगी वर्ष के दौरान सभी विवृत खदानों का आउटपुट कुल आउटपुट का 50% या अधिक होता है और यांत्रिक आकार का आउटपुट कुल विवृत खनन के आउटपुट का 50% या इससे अधिक होता है।

3. योजना :

विभिन्न उपलब्ध सूचकांकों में, निम्नलिखित दो सूचकांको को सुरक्षा प्रदर्शन सूचकांक के रूप में स्वीकार किया गया है :

- प्रतियोगी वर्ष की समाप्ति तक तीन लगातार वर्षों के दौरान किया गया मेन शिफ्ट कार्य के अर्थ में सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि (एलएएफपी)।
- प्रतियोगी वर्ष की समाप्ति तक तीन लगातार वर्षों के दौरान न्यूनतम जख्म आवृत्ति दर (एलआईएफआर)।

ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक खान अपनी सुरक्षा प्रबन्धन में सुधार का प्रयास करता रहे। किसी अव्यवस्थित खान की जख्म आवृत्ति दर (इंजूरी फ्रिक्वेंसी रेट) अधिक होती है। भेदन प्राप्त कर लेने के बाद, इसके अगले चरण में मेन शिफ्ट कार्य के अर्थ में सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि पाने की कोशिश होनी चाहिए।

नोट:

- जख्म आवृत्ति दर की गणना प्रति 1 लाख मेन शिफ्ट में मृत व्यक्ति की कुल संख्या गुणा 50 और प्रति 1 लाख मिशिफ्ट में घायल व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। जिस स्थिति में अनेक खान समान निम्नतम जख्म आवृत्ति दर प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रतियोगी वर्ष के अंत तक लगातार तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में मेन शिफ्ट के साथ काम करने वाले खान को विजेता घोषित किया जाता है।

- विवृत कोयला खदानों में तीव्र यांत्रिकीकरण के कारण, निम्न मेनशिफ्ट वाले कुछ यांत्रिकृत खदानों को बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन के बावजूद पुरस्कृत नहीं किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विवृत कोयला खदानों के लिए दो और पुरस्कार (एक विजेता और दूसरा रनर) दिए गए हैं जो आउटपुट के प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूनतम जख्म आवृत्ति दरों पर आधारित है।
- योजना-2 (अर्थात् एलआईएफआर) के लिए, मैन्युअल ओपनकास्ट मेटलिफेरस माइंस (टाइप-5) को मेनशिफ्ट वर्क्ड के आधार पर दो उप वर्गों में बांटा गया है; पहले उपसमूह में वे खान हैं जिसमें मेन शिफ्ट वर्क्ड प्रतियोगी वर्ष के दौरान 0.5 लाख से अधिक है और दूसरे उपसमूह में वे खान हैं जिसमें मेनशिफ्ट वर्क्ड 0.5 लाख से कम या बराबर है।
- प्रतियोगी वर्ष 1999 से एक खान एक पुरस्कार की व्यवस्था रही है। यदि खान किसी एक योजना में प्रथम पुरस्कार के लिए योग्य है और दूसरी योजना में द्वितीय पुरस्कार के लिए योग्य है तो उसे केवल प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

4. पुरस्कार समिति :

4.1 संघटन : पुरस्कार समिति में श्रम मंत्रालय और साथ में अध्यक्ष के रूप में खान सुरक्षा के मुख्य निदेशक, खान प्रबन्धन के आठ प्रतिनिधि, व्यापार संघ के आठ प्रतिनिधि और इसके सदस्य सचिव के रूप में एक डीजीएमएस अधिकारी शामिल हैं।

4.2 समिति के कार्य:

- पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करना और न्याय निर्णय देना।
- आगे के अंवेषण के लिए बाद के विवरणों की मांग करना या आवेदन स्वीकृति को टालना।
- किसी प्रतियोगी खदानों के रिकॉर्ड की जांच के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना।
- समिति पुरस्कारों की संख्या को कम कर सकता है अथवा किसी भी उपयुक्त कारण से किसी प्रतियोगी समूह/समूहों में किसी खान को पुरस्कार नहीं देने का फैसला कर सकती है।

5. कार्यप्रणाली:

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के लिए निर्देशित प्रोफोर्मा में आवेदनों को अमंत्रित करते हुए डीएवीपी के जरिए एक विज्ञापन जारी किया जाता है जो इंग्लिश, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। प्रवेश शुल्क के रूप में रु. 100 प्रति आवेदन की दर से लिया जाता है। इसके लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर/ डी.डी.ओ., डीजीएमएस के पक्ष में एक क्रॉस किया हुआ

आईपीओ स्वीकार किया जाता है जो धनबाद पोस्ट ऑफिस में भुगतान योग्य होता है। निर्धारित आवेदन फॉर्म पर खान प्रबन्धक और श्रमिकों के एक प्रतिनिधि का संयुक्त हस्ताक्षर होता है।

6. आवेदनों की जांच :

प्रतियोगी वर्ष के लिए प्रतियोगी खदानों द्वारा दिए गए आंकड़ों की जांच डीजीएमएस मुख्यालय में की जाती है। इन विवरणों को इन खदानों में उनके निरीक्षण के दौरान डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के समिति सदस्यों की स्वीकृति से पुरस्कार विजेता खदानों की सूची को अंतिम रूप दिया जाता है।

नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति द्वारा प्रतियोगी वर्ष के लिए कुल 32 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान किए जाएंगे।